



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र.

७२७/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2020
प्रति,

दिनांक 10/7/20

कुलसचिव,
मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय,
रातीबड़, भोपाल (म.प्र.) ।

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2020-21 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु समीक्षित शुल्क विषयक ।

—00—

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10) (ख) एवं (ड) में विनिर्दिष्ट प्रावधानान्तर्गत मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड़, भोपाल के मुख्य परिसर में स्थित संघटक महाविद्यालय एवं शिक्षण विभागों में सत्र 2020-21 में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित शुल्क संरचना की समीक्षा आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति द्वारा प्रति विद्यार्थी शिक्षा की लागत के आधार पर की गयी। शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 07 एवं 08 जुलाई 2020 में की गयी अनुशंसाओं का आयोग की बैठक दिनांक 08 जुलाई 2020 में अनुमोदन किया गया ।

आयोग द्वारा मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड़, भोपाल के मुख्य परिसर में स्थित संघटक महाविद्यालय एवं शिक्षण विभागों में सत्र 2020-21 में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए समीक्षा के उपरान्त अनुमोदित शुल्क संरचना का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

स.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क		
		पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क	कुल योग
1	DIPLLOMA	45050	7950	53,000
2	B.TECH.	53550	9450	63,000
3	M. TECH.	74800	13200	88,000
4	Ph.D.	58367	10300	68,667
5	D. PHARMA	113050	19950	133000
6	B. PHARMA	57800	10200	68000
7	M. PHARMA	62050	10950	73000
8	Ph. D.	64600	11400	76000
9	B.Sc. (Nursing)	70550	12450	83000
10	G.N.M.	45050	7950	53000
11	B.Sc.	57800	10200	68000
12	BBA	32300	5700	38000
13	MBA	57800	10200	68000
14	Ph.D.	53267	9400	62667
15	B.COM. (Hons.)	23800	4200	28000
16	B.COM. (COMPUTERS)	28050	4950	33000
17	M.COM.	28050	4950	33000
18	M.PHIL.	63750	11250	75000
19	Ph.D.	47600	8400	56000
20	BA . LLB.	36550	6450	43000
21	B.Ed.	40800	7200	48000
22	B.A.	19550	3450	23000
23	M.A.	23800	4200	28000
24	MSW	21250	3750	25000
25	M.PHIL. (ARTS)	63750	11250	75000
26	Ph.D.	47600	8400	56000

निरंतर-2

D:\fees\let-11

//2//

मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड़, भोपाल
शैक्षणिक सत्र 2020-21 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रु. लाख में)

क्र.सं.	शुल्क	राशि रु. लाख में	राशि रु. लाख में	राशि रु. लाख में
27	B.Sc. (PCM/BIO)	23800	4200	28000
28	M.Sc. (PCM/BIO)	32300	5700	38000
29	M.PHIL	63750	11250	75000
30	Ph.D.	47600	8400	56000
31	B.Sc. (CS/IT)	28050	4950	33000
32	M.Sc. (CS/IT)	28050	4950	33000
33	Ph.D.	47600	8400	56000
34	DCA	28050	4950	33000
35	B.C.A.	28050	4950	33000
36	PGDCA	28050	4950	33000

नोट - उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

- उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्यतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- सत्र 2020-21 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।
यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा।
यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
- उपरोक्त शुल्क से संबंधित शिकायत/अनियमिता के लिए मध्यांचल विश्वविद्यालय, भोपाल स्वयं उत्तरदायी होगा।
आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन भी संबंधित विश्वविद्यालय को करना आवश्यक है।
(चेयरमेन द्वारा अनुमोदित)

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2/11/2020

पृ. क्रमांक 227 फीस/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2020

प्रतिलिपि-

- कुलपति, मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड़, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
- आई.टी.प्रकोष्ठ की ओर इस निर्देश के साथ कि शुल्क समीक्षा आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- गार्ड फाईल।

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल